International Journal in Management and Social Science
Volume 08 Issue 02, February 2020 ISSN: 2321-1784 Impact Factor: 6.319
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली में चुनौतियों का अवलोकन एवं सुझाव

Manoj Kumar, Assistant Professor (History)
Govt.College –Rewalsar, Distt Mandi (H.P.)

सारांश

एक राष्ट्र के आर्थिक विकास एवं लोगों की आजीविका के सतत उपार्जन में उच्च शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। भारत जैसे विकासशील देश के लिए उच्च शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत में उच्च शिक्षा ने आजादी के बाद से अभूतपूर्व विस्तार का किया है। हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली चीन और अमेरिका के बाददुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली ह, लेकिन सकल नामांकन अनुपात के संदर्भ में यह 26.3 प्रति"ात ही ह। पिछले एक दशक में सकल नामांकन दर(GER)में 2005–06 के मुकाबले 2018–19 में भारी उछाल आया है और यह 8.1 प्रतिशत से 26.3 प्रतिशत हो गया है। सरकार वर्ष 2020 तक उच्च शिक्षा में हिस्सेदारी को 26.3 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक ले जाना चाहती है। हालांकि तब भी यह कम होगा, क्योकि अमेरिका और ब्रिटेन में यह प्रतिशत 80 से ऊपर है।चीन में 30 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया में 91 प्रतिशत की तुलना में उच्च शिक्षा में दाखिला लेने वाले 17–23 आयु वर्ग के बीच भारत अपने लगभग 20 प्रतिशत युवाओं को शिक्षित करता है। भारत की उच्च शिक्षा का प्रबंधन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) और विभिन्न परिषदों द्वारा किया जाता है। यूजीसी विश्वविद्यालयों और शोध संगठनों के लिए मानकों के समन्वय, निर्धारण, और रखरखाव और अनुदान जारी करने के लिए जिम्मेदार है। नामांकन और संस्थानों की संख्या दोनों के क्षेत्र में तेजी से विकास ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की नई चुनौतियों को जन्म दिया है।1956 में जब यूजीसी की स्थापना हुई तो उस समय बमुश्किल 28 विश्वविद्यालय 578 कॉलेज थे जो आज बढ़कर 911 विश्वविद्यालय तथा 41935 महाविद्यालय हो चुके हैं। यूजीसी का 63 वर्ष पुराना ढांचा 21वीं सदी में भारत की उच्च शिक्षा की जरूरतों का सामना नहीं कर पा रहा है। नामांकन और संस्थानों की संख्या दोनों के क्षेत्र में तेजी से विकास ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की नई चुनौतियों को जन्म दिया है। आज हमें जरूरत उच्च शिक्षा के ऐसे स्वरूप की है, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर में कार्य कर देश का सही विकास सुनिश्चित करा सके।

मुख्य शब्द –उच्च शिक्षा, महाविद्यालय ,विश्वविद्यालय ,चुनौतियां, सकल नामांकन अनुपात।

प्रस्तावना–नीति"ातक में भतृहरि ने कहा– "विद्याविहीन प"ु" इसी प्रकार "ज्ञान मनुजस्य तृतीय नेत्रं" कहा गया है। सा विद्याया विमुक्तयें कह कर विद्या का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उपनिष्द में सत्यं ज्ञानं अनन्त ब्रह्म के द्वारा ि"ाक्षा को आत्म ज्ञान तथा ब्रह्मज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया कहा गया है। अतः ि"ाक्षा की प्रक्रिया द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। यही ज्ञान मानव को प"ु से अलग करती।उच्च शिक्षा से समुदाय व राष्ट्र शक्ति संपन्न और लोकतंत्र मजबूत होता है जिससे मानवता पर आधारित विकास गतिमान होता है तथा इससे शक्ति सद्भाव आर सामाजिक न्याय को बल मिलता है।उच्च शिक्षा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नैतिक और आध्यात्मिक मुद्दों पर चिंतन करने का अवसर प्रदान करती है। 2030 तक भारत के पास विश्व की कार्यशील आयु वर्ग की सबसे बड़ी आबादी होगी और उसके लिए ना सिर्फ साक्षरता आवश्यक होगी बल्कि उनको रोजगार व जीवन कौशल की जरूरत के साथ उनकी क्षमता का विकास करना तथा उनमें एक वैश्विक दृष्टिकोण पैदा करना भी उच्च शिक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व होगा।यद्यपि भारत सरकार ने विभिन्न योजनाओं और समितियों को आरंभ करके उच्च शिक्षा क्षेत्र को आवश्यक बल दिया है लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में सुधार और बेहतरी की आवश्यकता है।

अध्ययन के उद्देश्य–

भारत में उच्च शिक्षा की वर्तमान सरचना का अध्ययन करना।
भारत में उच्च शिक्षा के उभरते मुद्दोंकी पहचान करना।
भारत में उच्च शिक्षा की चुनौतियों का अध्ययन करना।
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सुझावदेना।

अध्ययन विधि–

शोध पत्र मूल रूप सेमाध्यमिक डेटा स्रोतों पर आधारित हैं।विभिन्न संबंधित विषयों जैसे उच्च शिक्षा का वर्तमान स्वरूपऔरउच्च शिक्षा की चुनौतियांआदि विभिन्न घटकों के बारे में आवश्यक जानकारी विभिन्न पुस्तकों, समाचार पत्र, लेख, अनुसंधान पत्रिका, ई–पत्रिका,इंटरनेटतथायू.जी.सी की रिपोर्ट के माध्यम से एकत्रित की गई है।

भारत में उच्च शिक्षा का इतिहास –

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भारत का एक लंबा और सम्मानित इतिहास है। इसे ज्ञान का एक महान केंद्र माना जाता रहा है। । भारत में सामान्य एवं उच्च शिक्षा की परम्परा वैदिक काल से ही समृद्ध रही है। प्राचीन भारत में महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों को प्रारंभ करने का श्रेय ब्राम्हण संस्कृति को ही जाता है । बाम्हणीय महाविद्यालयों में चतुष्पथी शिक्षण होता था जिसमें अनेक आचार्य दर्शन, पुराण, विधि एवं व्याकरण की शिक्षा देते थे। काशी, मथुरा, अवंतिका, मिथिला, श्रावस्ती, राजगृह, कांची जैसे नगरोंमें महाविद्यालयस्थापित थे । परन्तु सर्वाधिक प्रसिद्धिबौद्ध युग के नालंदा विश्वविद्यालय को मिली जहां सातवीं सदी में देश–विदेश के विद्वान आते थे एवं यहाँ के विद्वानों ने बौद्ध धर्म को बृहत्तर भारत एवं एशिया के प्रमुख धर्म के रूप में स्थापित किया । इसकी अर्थव्यवस्था के लिए एक सौ गाँवों की जागीर थी, हषवर्धन भी इसे अनुदान देते थे।प्राचीन काल में नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत मेंउच्च शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र थे, जो न केवल देशभर से बल्कि कोरिया, चीन, बर्मा, सिलोन, तिब्बत और नेपाल जैसे देशों से भी छात्रों को आकर्षित करते थे। मध्यकाल युद्ध का काल बना रहा राज्य का स्वरुप मजहवी बना रहा। अपने अस्तित्व और धर्म की रक्षा के लिए वे निरन्तर युद्धों में संलग्न रहे। इस अवधि में शासकों ने कुछ मकतव व मदरसे बनवाए किन्तु यहां मुख्य रुप से मजहवी ि"ाक्षा ही प्रदान की जाती रही।

भारत में उच्चशिक्षा की वर्तमान प्रणाली 1823 के माउंटस्टुअर्टएल्फिंस्टन की रिपोर्ट से शुरू होती है, जिसनेअंग्रेजी और यूरोपीय विज्ञान को पढ़ाने के लियेस्कूलों की स्थापना की आवश्यकता पर बल दिया।वर्तमान युग की भारतीय शिक्षा प्रणाली अधिकांशतः यूरोप से प्रभावित है । आधुनिक भारत में अंग्रेजी शिक्षा के पुरोधा तो मैकाले हैं। परन्तु 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना उच्च शिक्षा का प्रारम्भ है। इसके साथ मद्रास एवं मुम्बई में भी प्रेसीडेन्सी कालेज शुरू हुए । इनकी स्थापना से अंग्रेजों द्वारा ही स्थापित कलकत्ता मदरसा एवं बनारस संस्कृत कालेज का महत्व कुछ कम हुआ । फिर भी 1818 में पूना में संस्कृत कालेज प्रारम्भ हुआ । 1886 में स्वामी दयानंद सरस्वतीने लाहौर में एंग्लो वैदिक कालेज प्रारम्भ किया एवं 1898 में श्रीमती एनीबेसेन्ट ने काशी में सेन्ट्रल हिन्दू कालेज को स्थापना की । 1854 में वुड के घोषणा–पत्र के उपरान्त ही 1857 का विद्रोह हुआ और इसी समय कलकत्ता, मद्रास एवं बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की घोषणा हुई । हन्टर शिक्षा आयोग 1882 के सुझावों के आने के पश्चात अगले 20 वर्षों में माध्यमिक एवं कालेज शिक्षा का तीव्र गति से विस्तार हुआ तथा भारतीयों ने इसमें

सराहनीय योगदान दिया। अध्यापन एवं परीक्षा विश्वविद्यालयों की स्थापना भी गयी। जिनमें पंजाब विश्वविद्यालय (1882) एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय मुख्य शब्द उच्च शिक्षा महाविद्यालय विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणालीप्रमुख थे। हण्टर कमीशन 1882 की रिपोर्ट तथा लार्ड कर्जन के शैक्षणिक सुधारों के बाद 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ ।कर्जन ने गुणवत्ता एवं दक्षता के नाम पर विश्वविद्यालयों में सरकारी नियंत्रण अत्यधिक कड़ा कर दिया। लेकिन उसका वास्तविक उद्देश्य राष्ट्रवाद के समर्थक शिक्षितों की संख्या को रोकना तथा उन्हें सरकारी भक्त बनाना था।कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917–19) केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही सम्बद्ध था, किंतु इसकी सिफारिशें भारत के अन्य विश्वविद्यालयों के संबंध में भी सही थीं। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917–19) की रिपोर्ट से भी उच्च शिक्षा में सुधार के द्वार खुले । हार्टोग समिति (1929) तथा वुड एबोट रिपोर्ट(1937) से भी शिक्षा में कुछ सुधार हुये एवं अनेक विश्वविद्यालय प्रारम्भ हुये। 1947 में देश की स्वतंत्रता के तत्काल पश्चात् विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49) का गठन हुंआ जिसे राधाकृष्णन् कमीशन नाम से जाना जाता है,नवंबर 1948 में राधाकृष्णन आयोग का गठन देश में विश्वविद्यालय शिक्षा के संबंध में रिपोर्ट देने हेतु किया गया था। स्वतंत्र भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में इस आयोग की रिपोर्ट का अत्यंत महत्व है। इस आयोग ने निम्न सिफारिशें की थीं–विश्वविद्यालय पूर्व 12 वर्ष का अध्ययन होना चाहिये।तथा उच्च शिक्षा के मुख्य तीन उद्देश्य होने चाहिये–(क) सामान्य शिक्षा (ख) सरकारी शिक्षा, एवं (ग) व्यवसायिक शिक्षा।शांति निकेतन एवं जामिया मिलिया की तर्ज पर ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिये।महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या बहुत अधिक नहीं होनी चाहिये। एक महाविद्यालय में 1 हजार से ज्यादा छात्रों को प्रवेश न दिया जाये।विश्वविद्यालयों के द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा के स्तर में सुधार लाया जाये तथा विश्वविद्यालय शिक्षा को समवर्ती सूची में सम्मिलित किया जाये।देश में विश्वविद्यालय शिक्षा की देख–रेख के लिये एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया जाए। उच्च शिक्षा में अंग्रेजी माध्यम को जल्दबाजी में न हटाया जाये।विश्वविद्यालयों में कम से कम 180 दिनों का अध्ययन अनिवार्य किया जाये।इन्हीसिफारिशों के आधार पर 28 दिसंबर1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया तथा 1956 में संसद द्वारा कानून बनाकर इसे स्वायत्तशासी निकाय का दर्जा दे दिया गया। इस आयोग का कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा की देखरेख करना, विश्वविद्यालयों में शिक्षा एवं शोध संबंधी सुविधाओं के स्तर की जांच करना तथा उनमें समन्वय स्थापित करना है। सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिये पर्याप्त धन की व्यवस्था करती है। तदुपरांत आयोग देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को धन आवंटित करने का सुझाव देता है तथा विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित विभिन्न विकास योजनाओं को क्रियान्वित करता है।विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपने छह क्षेत्रीय कार्यालयों बंगलुरु, भोपाल, गुवाहाटी ,हैदराबाद ,कोलकाता और पुणे में स्थित अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ–साथ नई दिल्ली स्थित मुख्यालय से कार्य करता है ताकि सुलभ पहुंच सुनि"चत की जा सके और महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों क्षेत्र से संबंधित विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु शीघ्रता से अनुदान जारी किया जा सके।

उच्च शिक्षा का वर्तमानस्वरूप –

रवींद्रनाथ टैगोर ने ठीक ही कहाथा, ''उच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल जानकारी नहीं देती है, बल्कि सभी अस्तित्व के साथ सामंजस्य बिठाती है।''भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली चीन और अमेरिका के बाद तीसरे नंबर पर है। आजादी के समय देश में केवल 20 विश्वविद्यालय और 496 कॉलेज थे जिनमें 2.1 लाख छात्र अध्ययनरत थे अब भारत में डिग्री देने वाले विश्वविद्यालयों में 52.35 गुना तथा कॉलेजों की संख्या में 83. 89 गुना वृद्धि हो चुकी है और छात्रा का नामांकन उच्च शिक्षा में 178.09 गुना बढ़ चुका है। 2018–19 में विश्वविद्यालयों की संख्या 911 और कॉलेजों की संख्या 41935(31 मार्च, 2019 तक)हो चुकी है।भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली बड़ी हाने के साथ–साथ छोटी भी है। पूर्ण नामांकन के संदर्भ में यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी शिक्षा प्रणाली है लेकिन सकल नामाकन अनुपात के संदर्भ में यह 26.3 प्रति"ातही है

पिछले एक दशक में सकल नामांकन दर में2005–06 के मुकाबले 2018–19 में भारी उछाल आया है और यह 8.1 पतिशत से 26.3 प्रतिशत हो गया हैलेकिन उच्च शिक्षा के इतने कम नामांकन के साथ अभी भी हम बरोजगारी का सामना कर रहे हैं। जिसका कारण भारत में कौशल विकास की कमी है।उच्च शिक्षा संस्थानो के मामले में भारत विश्व का प्रथम वरीयता प्राप्त देश है तथा छात्र पंजीयन के मामले में अभी भी अन्य देशों से पीछे है। सरकार वर्ष 2020 तक उच्च शिक्षा में हिस्सेदारी को 26.3 से बढ़ाकर 30 प्रतिशत तक ले जाना चाहती है। हालांकि तब भी यह कम होगा, क्योकि अमेरिका और ब्रिटेन में यह प्रतिशत 80 से ऊपर है। चीन मे भी उच्च शिक्षा का औसत 35 प्रतिशत से अधिक है।आज शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का जितना प्रतिशत खर्च होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। एक रिपोट के अनुसार, देश में शोध पर 0.8 फीसदी खर्च हो रहा है, जबकि कम–से–कम 2 फीसदी खर्च होना चाहिए।

तालिका(1): वर्ष 2012–13 से वर्ष 2018–19 के दौरान उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपातः

वर्ष	सकल नामांकन अनुपात
2012–13	21.50
2013–14	23.00
2014–15	24.30
2015–16	24.50
2016–17	25.20
2017–18	25.80
2018–19	26.30

देश में उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन दर (जीईआर) 26.3 प्रति"ात है जिसे 18 से 23 आयु वर्ग के लिए परिकलित किया गया है। पुरूष जनसंख्या के लिए जीईआर 26.3 प्रति"ात तथा महिलाओं के लिए यह 26.4 प्रति"ात है।वर्ष 2012–13 के दौरान सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 21.5 प्रति"ात से बढ़कर वर्ष 2018–19 के दौरान 26.3 प्रति"ात हो गया। यह वृद्धि अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत अधिक हुई जोकि वर्ष 2012–13 के दौरान 16.0 प्रति"ात से बढ़कर वर्ष 2018–19 के दौरान 23 प्रति"ात हो गया। अनुसूचित जनजाति श्रेणी के मामले में सकल नामांकन अनुपात वर्ष 2012–13 के दौरान 11.1 प्रति"ात से बढ़कर वर्ष 2018–19 के दौरान 17.2 प्रति"ात हो गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात उच्च शिक्षा का विकास–

स्वतंत्रता पूर्व देश में मात्र 20 विश्वविद्यालय थे, वहीं अब उनको संख्या 911 के पार पहुंच चुकी है। महाविद्यालयों की संख्या 496 से करीब 41935 और विद्यार्थियों की संख्या 3,97,000 से करीब 37399388के पार पहुंच चुकी है। यदि उच्च शिक्षा की गणवत्ता और उसकी व्यावहारिकता पर विचार किया जाए तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेंरोजगारों की एक बहतु बड़ी संख्या प्रत्यके वर्ष तैयार करती जा रही है।

तालिका (2) : वर्ष 1947–48 से 2018–19 के दौरान संपूर्ण भारत में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की संख्यात्मक स्थितिः

वर्ष	विश्वविद्यालय	महाविद्यालय
1947–48	20	496
1950–51	28	578
1960–61	45	1819
1970–71	93	3227
1980–81	123	4738
1990–91	184	5748
2000–01	266	11140
2005–06	355	18064
2006–07	367	19000
2007–08	408	22064
2008–09	428	25951
2009–10	493	31324
2010–11	523	33023
2011–12	573	34852
2012–13	628	35525
2013–14	666	36634
2014–15	711	38498
2015–16	753	39071
2016–17	795	40026
2017–18	851	41012
2018–19	911	41935 (31 मार्च, 2019 तक)

Source: Annual reports of UGC and Higher Education in India

International Journal in Management and Social Science
Volume 08 Issue 02, February 2020 ISSN: 2321-1784 Impact Factor: 6.319
Journal Homepage: http://ijmr.net.in, Email: irjmss@gmail.com
Double-Blind Peer Reviewed Refereed Open Access International Journal

तालिका (3): वर्ष 2011–12 से 2018–19 के दौरान संपूर्ण भारत में छात्रों के नामांकन में हुई वृद्धिः

वर्ष	कुल नामांकन सभी स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों में	प्रतिशत के सदंर्भ में हुई वृद्धि
2011–12	2918433	6.13
2012–13	30152417	3.32
2013–14	32336234	7.24
2014–15	34211637	5.80
2015–16	34584781	1.09
2016–17	35705905	3.24
2017–18	36642378	2.62
2018–19	37399388	2.07

स्रोत–वर्ष 2018–19 के लिए AISHE की रिपोर्ट

2018–19 के दौरान समस्त वि"वविद्यालयों/महाविद्यालयों/उच्चतर ि"ाक्षा के सभी स्तरों पर विभिन्न पाठ्यक्रमों (नियमित और दूरस्थ ि"ाक्षा कार्यक्रमों) में 373.99 लाख छात्र नामांकित हुए।373.99 लाख छात्रों में से 181.90 लाख महिलाएं थी जो कि इस संपूर्ण संख्या का 48.64 प्रति"ात हैं।अधिका"ां राज्यों में सभी स्तरों पर महिला छात्रों क नामांकन की तुलना में पुरूष छात्रों के नामांकन का प्रति"ात अपेक्षाकृत अधिकरहा।प्रति"ात के संदर्भ में, महिला नामांकन लक्षद्वीप में सर्वाधिक रहा (76.70 प्रति"ात) उसके प"चात् केरल (58.19 प्रति"ात) रहा। उच्चतर ि"ाक्षा में नामांकित विदे"ाी छात्रो की कुल संख्या 47,427(32398छात्र तथा 15029छात्राएं) है। विदे"ाी छात्र दुनिया भर के 164 विभिन्न दे"ाों से आते जिसमें नेपाल से कुल 26.8 प्रति"ातछात्र है।

तालिका (4) : वर्ष 2018–19 के दौरान उच्चतर ि"ाक्षा में स्तर–वार छात्र नामांकन (नियमित पाठ्यक्रम) :

स्तर	पुरूष	महिला	कुल	कुल का प्रति"ात
पी.एच.डी.	95015	74102	169117	0.51
एम.फिल.	11623	19069	30692	0.09
स्नातकोत्तर	1306690	1736745	3043435	9.10
स्नातक	13586745	13542118	27128863	81.16
स्नातकोत्तर डिप्लोमा	64495	60825	125320	0.37
डिप्लोमा	1732260	836941	2569201	7.69
प्रमाणपत्र	55074	64805	119879	0.36
समेकित पाठ्यक्रम	138422	102391	240813	0.72
कुल	16990324	16436996	33427320	100.00

Source:UGC Annual Report 2018-19

शिक्षावर्ष 2018–19 के दौरान उच्चतर शिक्षा(नियमित पाठ्यक्रम)में छात्रों के नामांकन की स्थिति द"ार्ाती ह कि कुल छात्रों के 81.16 प्रति"ात छात्र स्नातक स्तर में नामांकित हुए। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में

छात्र नामांकन का प्रति"ात 9.10प्रति"ात रहा तथा शोध पाठ्यक्रमों (एम0फिल0/पी0एच0डी0) में छात्रों का नामांकन 0.60 प्रति"ात रहा। अभी भी स्नातक स्तर के बाद स्नातकोत्तर तथा शोध पाठ्यक्रमों में छात्रों के नामांकन का स्तर बहुत कम है।

तालिका(5):31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार स्वरूप–वार विश्वविद्यालयों की संख्याः

क्रम सं	विश्वविद्यालयका स्वरूप	विश्वविद्यालयों की संख्या
1	केन्द्रीय विश्वविद्यालय	51
2	राज्य विश्वविद्यालय	397
3	राज्य निजी विश्वविद्यालय	334
4	राज्य के विधान के माध्यम से स्थापित संस्थान	3
5	सम विश्वविद्यालयसंस्थान	126
	कुल	**911**

Source: UGC Annual Report 2018-19

उच्च शिक्षण संस्थानों की वर्तमान स्थिति के अनुसार वि"वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध वि"वविद्यालयों की संख्या 911 हो गई है (51 केन्द्रीय, 397 राज्य सावजनिक, 334 राज्य निजी, 126 सम वि"वविद्यालय, राज्य विधान के तहत तीन संस्थान) तथाउच्चतर ि"ाक्षा क्षेत्र में 41935 महाविद्यालय (वर्ष 2018–19 की एआईएसअचई की रिपोर्ट) स्थापित हुए । जहां तक राज्यों में स्थापित वि"वविद्यालय का संबंध है, 83 वि"वविद्यालयों के साथ राजस्थान सूची में सबसे ऊपर है, जिसके बाद उत्तर प्रदे"ा (75), तत्प"चात् गुजरात (67) आदि हैं।राज्यवार कॉलेजों में उत्तर प्रदेश 7072 कॉलेजों के साथ पहले नंबर पर तथा महाराष्ट्र 4264 कॉलेजों के साथ दूसरे नंबर पर है।

तालिका (6): वर्ष 2018–19 के दौरान भारत में वि"वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में ि"ाक्षण कर्मचारियों का पद वार विवरणः

क्रम सं	**पदनाम**	**वि"वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में ि"ाक्षण कर्मचारियोंकी कुल संख्या**	**महिलाएं**	**महिला प्रति"ात**
1	प्रोफेसर	118456	31400	26.50
2	एसोसिएट प्रोफेसर	150157	55231	36.78
3	असिस्टेंट प्रोफेसर	862101	375090	43.50
4	अनुशिक्षक/निदर्शक	46901	29504	62.90
5	अस्थायी शिक्षक	72794	36280	49.83
	कुल योग	1250409	527505	42.18

Source: UGC Annual Report 2018-19

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उच्च शिक्षा सुधार हेतु गठित आयोगों की दर्जनों बड़ी–बड़ी रिपोर्टों और सिफारिशों के बावजूद भारत में शिक्षा व्यवस्था की रूपरेखा वही है जो अंग्रेजों ने पढ़े–लिखे क्लर्क और शासकीय सेवक प्राप्त करने के लिए तैयार की थी। इन रिपोर्टों में बार–बार यह जोड़ दिया जाता रहा है कि हमारी शिक्षा देश की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहारिक होनी चाहिए,परंतु ना तो शिक्षा पद्धति काही भारतीयकरण हुआ और ना ही शिक्षा दनिक जीवन में उपयोगी हो पाई।उच्च शिक्षा देश के नागरिकों में प्रजातंत्रोय भावनाओं के विकास में सर्वथा असफल रही आज हमारी शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। वर्तमान शिक्षा की नींव ऐसी होनी चाहिए की भारतीय जनजीवन और संस्कृति पर आधारित हो जिसमें पश्चिम के ज्ञान विज्ञान को भी स्थान हो, जो सच्चे प्रजातंत्र जीवन के लिए भारतीयों को तैयार कर और उन्हें विश्व नागरिक बनाएं। भारत में उच्च शिक्षा का विकास आदि से अब तक अनियोजित रहा है परिणाम स्वरूप जहां एक आर शिक्षा स्तर में गिरावट आई वहीं छात्रों के ज्ञानार्जन की अभिलाषा भी नष्ट हुई है।

भारत में उच्च शिक्षा में चुनौतियॉ –

भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली आजादी के बाद एक उल्लेखनीय तरीके से विकसित हुई है, जो दुनिया में अपनी तरह की सबसे बड़ी प्रणाली बन गई है।यह हमारी आजादी का 72 वां वर्ष है, अभी भी हमारी शिक्षा प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। हम दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में एक भी विश्वविद्यालय को सूचीबद्ध करने में सक्षम नहीं हैं। इन छह दशकों के दौरान विभिन्न सरकारें बदलीं। उन्होंने शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने की कोशिश की फिर भी हम अपनी शिक्षा प्रणाली में बहुत सारी समस्याओं और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। वर्तमान में चिंता के कई मुद्दे हैं:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का बढ़ता बोझ–

आजादी के बाद के वर्षों में उच्च शिक्षाक्षेत्र की संस्थागत क्षमता में अत्यधिक वृद्धि हुई है। विश्वविद्यालयों की संख्या वर्ष 1950 में 28 विश्वविद्यालयों की तुलना में बढ़कर 2019 में लगभग 911 हो गई है। कालेजों की संख्या में भी कई गुना वृद्धि दर्ज की गई है जो 1950 में 578 से बढ़कर वर्तमान में लगभग 41935से अधिक हो गए हैं। अतः शैक्षिक संस्थाओं की इतनी बड़ी संख्या होने के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोगके पास कार्यों काअत्यधिक बोझबढ़ गया हैं।भारत का कोई भी शैक्षिक संस्थान विश्व स्तरके अनुरूप नहीं है, अतः विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निगरानी प्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगते रहे हैं, साथ ही संस्थाओं की रैंकिंग, मूल्यांकन और अन्य मापदंडों ने शिक्षा स्तर में सुधार को अपरिहार्यबना दिया है।यूजीसी व उसका 63 वर्ष पुराना ढांचा 21वीं सदी के भारत की उच्च शिक्षा की जरूरता का सामना नहीं कर पा रहा है। अभी 18 से23 साल के बमुश्किल 25.4 प्रतिशत युवा हीहमारे विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में दाखिला ले पाते हैं। अगर हम जीईआर को 50 प्रतिशतकर पाने की कल्पना करें, तो आने वालेदशकों में चार करोड़ से ज्यादा अतिरिक्तयुवाओं की शिक्षा के इंतजाम करने होगें।

शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का विषय–

भारत में शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है अर्थात् केन्द्र शासन एवं राज्य सरकार दोनों इसके संदर्भ में स्वतंत्र हैं । इसके कुछ गुण भी हैं तो कुछ दोष भी । केन्द्रीय शासन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू.जी.सी. एक्ट 1956) के माध्यम से उच्च शिक्षा को नियंत्रित करता है । केन्द्रीय विश्वविद्यालयों एवं मान्य विश्वविद्यालयों को शत–प्रतिशत अनुदान मिलता है परन्तु राज्य सरकारों के विश्वविद्यालयों को, जो संख्या में अधिक हैं, केन्द्र प्रायः पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत विकास के लिए ही राशि उपलब्ध कराता है, साधारण खर्च विभिन्न राज्य स्वयं वहन करते हैं । अनेक राज्य सरकारें साधारण राशि का पूरा भार

वहन करने में कठिनाई का अनुभव करती हैं जिससे उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में गिरावट आती है । महाविद्यालयों में कुछ शासकीय होते हैं तो कुछ अशासकीय । अनेक अशासकीय महाविद्यालयों को केन्द्र एवं राज्यों से अनुदान प्राप्त होता है, परन्तु कुछ को बिल्कुल नहीं।शिक्षा के क्षत्र में आधारभूत, वित्तीय एवं प्रशासनिक उपायों के द्वारा राज्यों एवं केंद्र सरकार के बीच नई जिम्मेदारियों को बाँटने की आवश्यकता महसूस की गई। जहाँ एक ओर शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों की भूमिका एवं उनके उत्तरदायित्व में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ, वहीं केंद्र सरकार ने शिक्षा के राष्ट्रीय एवं एकीकृत स्वरूप को सुदृढ़ करने का भार भी स्वीकार किया। इसके अंतर्गत सभी स्तरों पर शिक्षकों की योग्यता एवं स्तर को बनाए रखना एवं देश की शैक्षिक जरूरतों का आकलन एवं रखरखाव शामिल है। 1976 से पूर्व शिक्षा पूर्ण रूप से राज्यों का उत्तरदायित्व था, लेकिन 1976 में किये गए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जिन पाँच विषयों को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया,उनमें शिक्षा भी शामिल थी। गौरतलब है कि समवर्ती सूची में शामिल विषयों पर केंद्र और राज्य मिलकर काम करते हैं।

गुणवत्ता युक्त शिक्षा की कमीः–

उच्च शिक्षा में गुणवत्ता के कई आयाम हैं उच्च शिक्षा में विस्तार के साथ गुणवत्ता युक्त शिक्षा उपलब्ध कराना एक बड़ी चुनौती है। संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था अमरीका और चीन के बाद तीसरे नंबर पर आती है लेकिन जहां तक गुणवत्ता की बात है दुनिया के शीर्ष विश्वविद्यालयों में भारतीय विश्वविद्यालयों की रैंकिग काफी नीचे है। टॉप–200 विश्व रैंकिंग में बहुत कम भारतीय शिक्षण संस्थानों को जगह मिल पाती है।भारत में आज ऐसे शिक्षण संस्थानों की कमी है जो विश्व मानक स्तर से प्रतिस्पर्धा कर सके। अच्छे शिक्षण संस्थानों के आभाव में देश के श्रेष्ठ विद्यार्थी अध्ययन हेतु विदेशों में चले जाते हैं। उनमें से अधिकाशं विदेशों में ही बस जाते हैं। यह देश के लिए बौद्धिक संपदा की क्षती है।भारत में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता एक बहुत बड़ो चुनौती है। नैसकॉम और मैकिन्से के ताजा शोध के अनुसारमानविकी में 10 में एक और अभियांत्रिकी में डिग्री प्राप्त चार में से एक भारतीय छात्र ही नौकरी पाने के योग्य हैं। एसोचौम का ताजा सर्वे बताता है कि देश के शीर्ष 20 प्रबंधनसंस्थानों को छोड़ कर अन्य हजारों संस्थानों से निकले केवल सात प्रति"ात छात्र ही नौकरी देने के काबिल पाये हैं। आजदेश के उच्च शिक्षा संस्थान जिस तरह डिग्रियां दे रहे हैं, उनमें कई विसंगतियांहैं। अधिकांश महाविद्यालयों में सुनियोजित शिक्षा व्यवस्था का अभाव है। इस संदर्भ में भारतीय शिक्षण संस्थानों को उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए 1994 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यार्पण परिषद (National Assessment and Accreditation Council) का गठन किया गया है। इसी प्रकार तकनीकि शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन हेतु वर्ष 1994 में ही राष्ट्रीय प्रत्यार्पण मंडल (National Board of Accreditation - NBA)का गठन किया गया है। इनके द्वारा शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन किया जाने के पश्चात इनके द्वारा दिये गये ग्रेड के आधार पर शिक्षण संस्थानों को आवंटन दिया जाता है।यदि भारत सामाजिक–आर्थिक रूप से विकसित देश बनना चाहता है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से लोगों को सशक्त बनानाहोगा।

उच्च शिक्षा में संसाधनों की कमीः–

उच्च शिक्षा में वित्तीय संसाधनों की कमी एक बड़ी चुनौती है। हाल ही में एक सर्वे में सामने आया है कि देश के अधिकांश प्रदेशों की राज्य सरकारों की उच्चशिक्षा में कोई खास रुचि नहीं है और वे इसका वित्तीय भार नहीं उठाना चाह रही है।हैं। यद्यपि केद्रं सरकार ने 2020 तक 30 प्रतिशत सकल नामाकंन दर का लक्ष्य रखा है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए काफी संख्या में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों की स्थापना की जरूरत होगी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (National Knowlwdge Commission) ने 2020

तक 30 प्रतिशत लोगों को विश्वविद्यालय तक लाने के लिए अगले 10 वर्ष में देश में 1500 विश्वविद्यालय और करीब 45 हजार कॉलेज खोलने की सिफारि"ा की है। योजना आयोग के 12 वीं पंचवर्षीय योजना ड्राफ्ट पेपर के अनुसार राजकीय विश्वविद्यालय एवं उन से संबद्ध महाविद्यालयों से 90 प्रतिशत से अधिक नामाकन में कमी, वित्तीय संसाधनों की कमी, खराब संचालन व्यवस्था, खराब गुणवत्ता जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। भारत में उच्च शिक्षा में 11 वीं पंचवर्षीय योजना काल में सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 1.22 प्रतिशत ही व्यय किया जा रहा है, जबकि अमेरिका और दक्षिण कोरिया में सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 3.1 तथा 2.4 प्रतिशत व्यय किया जा रहा है। वर्ष 1964 में कोठारी कमीशन ने शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत व्यय करने की सिफारिश की थी। ज्ञान आयोग ने उच्च शिक्षा पर 1.6 प्रतिशत व्यय करने का सुझाव दिया था। वर्तमान मे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के बजट का 65प्रति"ातहिस्सा केंद्रीय विश्वविद्यालयों और उनके कॉलेजों को मिलता है, जबकि राज्य विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कॉलेजों को शेष 35प्रति"ातही प्राप्त होता है।ऐसे में संसाधनों की कमी के कारण उच्च शिक्षा में गुणवत्ता को बात कैसे सोची जा सकती है।

शिक्षकों की रिक्तियां–

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के अनुसार, विभिन्न केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों और असिस्टेंट प्रोफेसरों के क्रमशः 16,699, 4,731 और 9,585 स्वीकृत पद हैं। इनमें प्रोफेसरों के 5,925 (35प्रति"ात), एसोसिएट प्रोफेसरों के 2,183 (46प्रति"ात) और असिस्टेंट प्रोफेसरों के 2,459 पद (26प्रति"ात) रिक्त हैं।देश के 47 केंद्रीय विश्वविद्यालयों मे शिक्षकों के चालीस फोसदी पद खाली हैं, तो वहाँ शैक्षणिक गतिविधियों और उनको गुणवत्ता की क्या स्थिति होगो। यह केवल केंद्रोय विश्वविद्यालयों की स्थिति है अगर इसमें राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयोंको भी जोड़ दिया जा, तो तस्वीर बहुत भयावह होगो।हाल ही में एक सर्वे में सामने आया है कि देश के अधिकांश प्रदेशों की राज्य सरकारों की उच्च शिक्षा में कोई खास रुचि नहीं है और वे इसका वित्तीय भार नहीं उठाना चाहती। इसी कारणराज्य सरकार स्वीकृत पदों को नहीं भर पाती और वे समाप्त हो जाते हैं सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों के पद भी नहीं भरे जातेऔर उनकी जगह अंशकालिक अध्यापकों या अतिथि अध्यापकों से काम चलाया जा रहा ह।

शोध एवं अनवेषण की कमी–

प्रो.यशपाल कामानना था कि जिन शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान और उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया जाता, वो न तो शिक्षा का भला कर पाते हैं और न समाज का। अकादमिक प्रदर्शन सूची (एपीआई) के लाग् होने के बाद प्राध्यापकों की पदोन्नति में एपीआई की गणना हो रही है और इसके चलते आजकल शिक्षा संस्थानों में हम शोध, संगोष्ठी और प्रकाशन की का अद्भुत नजारा देखने मिलता हैं। वर्ष 2017 में भारतीयों द्वारा दायर किये गये पेटेंट आवेदनों की संख्या लगभग 46582 हजार थी, जबकि इस दौरान चीन द्वारा 13.8 लाख अमेरिका द्वारा 6.6 लाख, जापान द्वारा 3.18 लाख पेटेंट आवेदन प्रस्तुत किये गये। यह हमारे शोध की गुणवत्ता के प्रति प्रश्न चिन्ह है। शोध शिक्षा का उत्तम रूप, तकनीकि आधुनिकीकरण और प्रक्रिया का उत्कृष्ट बनाता है।दुनिया भर में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुए शोध में से एक तिहाई अमरीका में होते हैं। इसकेठीक विपरीत भारत से सिर्फ तीन फीसदी शोध पत्र ही प्रकाशित हो पाते हैं। भारत में भी शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए कई जतन किए जाते रहे हैं, लेकिन आज भी देश में हो रहे शोध की न केवल मात्र बल्कि उसकी गुणवत्ता को लेकर हम अन्य देशाँ की तुलना में काफी पिछड़े हुए हैं। अनुसंधान सिर्फ विश्वविद्यालय की रैंकिंग और प्रतिष्ठा पर ही असर नहीं डालता है बल्कि देश के आर्थिक विकास को भी प्रभावित करता है। यूरोपीय संघ द्वारा 2017 में जारी एक निजी पत्र 'द इकोनॉमिक्स

रेशनेल फॉर पब्लिक रिसर्च एंड इन्नोवेशन फंडिंग एंड इट्स इंपैक्ट' में कहा गया है कि 1995 से 2007 तक यूरोप की आर्थिक तरक्की में दो तिहाई योगदान अनुसंधानओं और नवाचारों का था। भारत की विफलता के कारण पिछले एक दशक में अनुसंधान पर निवेश में गिरावट आई है यह 2008 में जीडीपी के 0.8 से घटकर 2014 में लगभग 0.7 रह गया है कुछ विकसित देशों में अनुसंधान कार्यों में जीडीपी के अनुपात में निवेश की तुलना करें तो अमेरिका में 2.8 फीसदी चीन में 2.1 फीसदी और दक्षिण कोरिया में 4.2 हिस्सेदारी है 2016–17 के अनुसार प्रति एक लाख लोगों पर शोधकर्ताओं की संख्या भारत में केवल 15 थी, जबकि चीन में 111, अमेरिका में 423 और इजराइल में 825 थी।

पाठ्यकमों में परिवर्तन की आवश्यकता–

राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद् (नैक) का शोध बताता है कि भारत में 90 फीसदीकॉलेजों एवं 70 फीसदी विश्वविद्यालयों का ि"ाक्षा स्तर बहुत कमजोर है।अनुसंधान गतिविधियाँ उच्च स्तरीय नहींहैं। कई विश्वविद्यालयों में पिछले 25 सालों से पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है पुराना पाठ्यक्रम अपनी जमीनी हकीकतों से काफी दूर हैं। यह निराशावादी माहौल उच्च शिक्षा केन्द्रों कोविश्वस्तरीय स्थान दिलाने मे असफल हो रहा हैं और उच्च शिक्षा केवल अर्ध शिक्षित बेरोजगारों कीफौज खड़ी कर रही है।उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों को अब समयानुकूल परिमार्जित करने की कडीं आवश्यकता है।

आर्थिक चुनौतियां–

भारत में शिक्षा पर खर्च काफी कम है अभी भारत शिक्षा पर अपने सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रति"ात से भी कम खर्च करता है जबकि वैश्विक मानक 6 प्रति"ात है शिक्षा नीति का निर्धारण करने के लिए 1964 में बने कोठारी आयोग का सबसे प्रमुख सुझाव यही था कि देश के सकल घरेलू उत्पाद का 6प्रति"ात शिक्षा के मध्य में खर्च किया जाए। प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में इसे एक राष्ट्रीय लक्ष्य भी बनाया गया था लेकिन इस राष्ट्रोय लक्ष्य को आज 52 साल बाद भी प्राप्त नहीं किया जा सका हैं। अगर हम वैश्विक आंकड़ों की बात करें तो वैश्विक आंकड़े भारत से कहीं बेहतर है। शिक्षा पर खर्च का वैश्विक औसत का 4.7 प्रति"ात हैं। अमेरिका अपनी जी.डी.पी. का 5.6 प्रति"ात शिक्षा पर खर्च करता है जबकि भारत से कहीं छोटे देश नॉर्वे 7 प्रति"ात और क्यूबा 13 पति"ात शिक्षा पर खर्च करते हैं। भारत में बजट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में 2017–18 में 80,215 करोड, 2018–19 में 83,626 करोड, 2019–20 में 94,854 करोड तथा 2020–21 में 99,300 करोड रखा गया। भारत में जहां एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में बजट काफी कम है वहीं इसका वितरण भी काफी असमान सा है। 2019–20 के बजट के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में जो 94,854 करोड जारी किए गया उसमें स्कूली शिक्षा का बजट 56,536.63 करोड और उच्च शिक्षा का बजट 38,317.36 करोड रुपए है। 38,317.36 करोड रुपए में से देश के लगभग 1000 विश्वविद्यालय का हिस्सा 6843 करोड़ रुपए है वही देश में 50 से कम संख्या में स्थित आई.आइ.टी और आइ.आई.एम का बजट विश्वविद्यालयों के बजट से कहीं अधिक है। देशभर के 23 आइ.आई.टी कॉलेजों का बजट 6410 करोड़ है, जबकि देश में 20 आई.आइ.एम कॉलेजों को 445 करोड रुपए मिलता हैं। यही कारण है कि भारत की विश्वविद्यालय शिक्षा बेहद नाजुक स्थिति में हैं। भारतीय शिक्षा प्रणाली को नई दिशा देने के लिए अधिक धन की आवश्यकता है, कहा भी जाता है कि शिक्षा पर निवेश सबसे बेहतरीन ब्याज झुकाता है।वित्तीय साधनों की कमी व पर्याप्त अनुदान ना मिलने से देश के अधिकांश विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। आर्थिक कठिनाइयों के कारण पर्याप्त शिक्षण सामग्री न होने, प्रयोगशालाओं में उपकरणों की कमी, पुस्तकालयों में पुस्तकों की कमी, भवन की समस्या, फर्नीचर की समस्या का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा एवं विकास एक दूसरे के पूरक है यदि हमें विकास करना है तो उच्च शिक्षा

के स्तर को सुधारना होगा और उच्च शिक्षा का स्तर तभी सुधरेगा जब उच्च शिक्षा पर कुल बजट का कम से कम 15 प्रति"ात खर्च किया जाएगा।

राजनैतिक हस्तक्षेप–

एक और बड़ी समस्या यह है कि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के उच्च प्रबंधन में राजनीतिक दखल को बढ़ावा।डीम्ड और निजी विश्वविद्यालय अपनी मनमानी से चलाते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय ज्यादातर राजनीतिक बिरादरी और कॉरपोरेट घरानों के होते हैं। विश्वविद्यालयों में कुलपति सहित शिक्षका के पद राजनैतिक दबाव से प्रेरित होकर भरे जाते हैं। वास्तव में कुलपति अकादमिक क्षेत्र के विशिष्ठ प्रतिभावान विद्वान, शिक्षाविद होना चाहिए। उनमें स्पष्टता, दूरदर्शिता, दक्षता, नेतृत्व क्षमता का गुण, प्रबंधन की क्षमता एवं निर्णय लेने की क्षमता होना चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थानों को राजनीति, जातिवाद, क्षेत्रवाद जैसी संकीर्णता से मुक्त रखा जाना चाहिए।

समय पर परीक्षा परिणाम घोषित न होना–

सेमेस्टर प्रणाली लागू होने के बाद से परीक्षा परिणाम घोषित करना एक बड़ी चुनौती पूर्ण कार्य हो गया है। परीक्षा के परिणामों में लेट लतीफी से अक्सर विद्यार्थियों को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पडता है।योजना अंर्तगत मूल्यांकन के तुरंत बाद विद्यार्थियों को परोक्षा का परिणाम प्राप्त नहीं हो पाता।

छात्रों में बढ़ती अनुशासनहीनता –

वर्तमान युग मे अनुशासनहीनताएक बड़ी समस्या के रूप में उभरी ह।भारतवर्ष में तो आजादी के 72 वर्षों में यह समस्या इतना भयंकर रूप धारण कर गई है। वर्तमान शिक्षा–प्रणाली सर्वथा दोषपूर्ण है। यह विशेष रूप से बौद्धिक विकास पर बल प्रदान करती है। धन की अनियमित,दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार, चोरी ,सेंधमारी ,अधिकारा का दुरुपयोग, परीक्षा में नकल इन कारणों से हमारी उच्च शिक्षा प्रणाली एकता व राष्ट्र निर्माण में योगदान नहीं दे पा रही है। यह अभिभावकों का भी दायित्व है कि वह छात्रों को सुसंस्कार दें ,आज छात्र बहकावे में आकर स्कूलों तथा कॉलेजों की सार्वजनिक संपत्ति का बिना सोचे समझे नष्ट करते हैं।छात्रों में अनुशासनहीनता को दूर करना आने वाले समय में उच्च शिक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी।

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु सुझाव–

उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार, उद्योग, शैक्षिक संस्थानों, माता–पिता और छात्रों से कुछ सुझाव और अपेक्षाएं हैं:

1. उच्च शिक्षा अधिक प्रभावी, चुस्त, गतिशील, लचीली और अधिक विभिन्नताओं सहित होनी चाहिए। अतः शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रम एवं सुविधाओं को समयानुकूल तथा बाजारोन्मुखी बनाया जाए ।
2. स्नातक छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए उन्हें ऐसे पाठ्यक्रम प्रदान करने की आवश्यकता है जिसमें वे उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें, विषय का गहन ज्ञान प्राप्त कर सकें ताकि उन्हें कंपनियों में नौकरी मिल सकें।
3. विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के अन्य संस्थानों में शिक्षण और अनुसंधान की नियमित निगरानी आर मूल्यांकन होना चाहिए।
4. उच्च शिक्षा में एक बहु–विषयक दृष्टिकोण होना चाहिए ताकि छात्रों का ज्ञान केवल अपने स्वयं के विषयों तक ही सीमित न रहे।

5. परीक्षाओं में सेमेस्टर सिस्टमहोआर छात्रों के प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन किया जाए।
6. दूरस्थ शिक्षा के तरीकों को विशाल पैमाने पर नियोजित करना होगा।
7. शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच सेमिनारों और कार्यशालाओं के गतिशील सत्र आयोजित करवाए जाएं।
8. शिक्षकों के लिए सतत् प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता विकास क लिए नियम बनाए जाए ।
9. कमजोर वर्ग के योग्य और मेधावी विद्यार्थिया को उच्च शिक्षण संस्थानों मे शुल्कों में पूरी छूट मिलनी चाहिए।
10. सार्वजनिकतथा निजी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को राजनीतिक प्रभाव से दूर रखा जाए।
11. उच्च शिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम के विकास के लिए औद्योगिक सहयोग होना चाहिए, विशेषज्ञ व्याख्यान, इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट, कैरियर परामर्श और प्लेसमेंट का आयोजन होना चाहिए।
12. छात्रों के वार्षिक परिणाम समय पर निकले इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि आगे की शिक्षा या रोजगार के लिए उनका समय बर्बाद ना हो।
13. भारत में वैज्ञानिक शोधों पर खर्च को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। शिक्षा नीति में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए कि उच्च शिक्षा में शोध कार्य के लिए संसाधनों की व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जानी चाहिए।
14. सरकार को भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों और शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए और बेहतर गुणवत्ता और सहयोगात्मक अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाओं और शीर्ष संस्थानों के अनुसंधान केंद्रों के बीच संबंध भी बनाना चाहिए।

निश्कश –

स्वतंत्र भारत के 73 वर्षों के बाद भी हम हमारी बौद्धिक संपदा को अपने देश में रोक पान में यदि असमर्थ हैं तो यह एक गंभीर मसला है। यदि 21वीं सदी में हम किसी भयंकर विपदा से घिरना नहीं चाहते तो हमें उच्च शिक्षा व अर्थव्यवस्था दोनों को मजबूत करना होगा।ऐसा नहीं है कि हमने देश के विकास के लिए समेकित प्रयास नहीं किए। देश के समग्र विकास को परिकल्पना को साकार करने के जो भी प्रयास देश में किये गये उनका सकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है।भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'सबको शिक्षा अच्छी शिक्षा' के आदर्श वाक्य के साथ शिक्षा को बदलने की दिशा में लम्बी छलांग लगाई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने देश में अनुसंधन और नवाचार संस्कृति को बढावा देने के लिए कई नई योजनाए शुरू की हैं। मंत्रालय ने चुनिंदा उच्च शैक्षणिक संस्थानों को उनके परिसरों में अनुसंधन और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए क्रमिक स्वायत्तता की नीति का पालन किया है ताकि वे वैश्विक संस्थानों की रैंकिंग में अपना स्थान बना सकें। सरकार ने देश में विश्व स्तरीय शिक्षा संस्थान बनाने के लिए वित्त वर्ष 2019–20 में 400 करोड़ रुपये का प्रावधन किया है। यह राशि पिछले वर्ष के संशोधित अनुमानों की तुलना में तीन गुना से अधिक है। उच्च शिक्षा की व्यवस्था में हमें ऐसे बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है कि शिक्षा का सही उपयोग हम अपने आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में प्रभावी ढंग से कर सकें। भारत देश को अगर सुपर पावर बनना है तो उसके लिए पढ़े–लिखे तथा दक्ष कर्मियों की जरूरत है। इसके लिए उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सख्त परिवर्तनों की जरूरत है।

संदर्भ सूची

1- Annual Reports 2017-18, 2018-19 (www.ugc.ac.in)University Grant Commission, New Delhi.
2- All India Survey on Higher Education (AISHE) report 2018-19, New Delhi.
3- Annual report 2016-17Department of School Education& Literacy Department of Higher Education, New Delhi.
4- Deka B., (2000) Higher Education in India:Development & Problem, Atlartic Publisher, New Delhi, pp5-10.
5- Swamy Kulandai VC, (2006) Reconstraction of Higher Education in India,The ICFAI Univerty Press, Hyderabad, pp9-22.
6- RamachandranCM,(1987)Problemsof Higher Education in India, Mittal publisher NewDelhi,pp89,90.
7- RN Sharma, RK Sharma,(2004)History Education in India,Atlartic Publisher, New Delhi,pp39-42.
8- Sharma, Shaloo, (2002), History and Development of Higher Education in india, Sarup& son, New Delhi,pp16-22.
9- Research Revolution Journal, ISSN.2319-300X, Nov.2014, Indore, M.P, pp58-59.
10- Perfect 7 Weekly Magazine, Sept.2019, New Delhi, p15.
11- सोढ़ी,मनजीतसिंह,(2015) आधुनिक भारतीय इतिहास और संस्कृति, मॉडर्न प्रकाशक,जालंधर,पृष्ठ 188–193।
12- योजना पत्रिका, ISSN–0971–8397, अगस्त 2018, नई दिल्ली, पृष्ठ 23–25।
13- इंडिया टुडे पत्रिका, जुलाई 2019, नोएडा, यू.पी., पृष्ठ 36
14- प्रतियोगिता दर्पण,पत्रिका, दिसम्बर 2018, आगरा, पृष्ठ 58।
15- https://www.ibef.org/economy/union-budget-2019-20,2020-21
16- http://www.vivacepanorama.com/development-of-education-in-india/